

Speed post /त्रिव डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer-
305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFL0LST/18/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 08/01/2024

प्रेषित: खान एजेंट,
रास-II चूना पत्थर खान,
मेसर्स अंबूजा सीमेंट लिमिटेड,
पोस्ट राबरियावास
तहसील जैतारण, जिल्ला पाली (राजस्थान),
पिन: 306709

(e-mail: sandeep.singh9@adani.com, rajnish.bora@adani.com)

विषय: राजस्थान राज्य के पाली जिले में स्थित आपकी रास-II चूना पत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 19.12.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लंघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation
11 (1)	<p>The mining operations in the lease area has ot been carried out as per modified mining plan approved on 16.08.2021 and following deviations have been observed during inspection:</p> <p>(a) It was planned & proposed to work in Northern hill by forming 3 benches of 8 meter from 402mRL to 386mRL, North side hill(Logistic hill) by forming 04 benches of 8 meter from 418mRL to 386mRL, D Block Ridge by forming 01 bench from 370mRL to 362mRL and Temple Hill Ridge by forming 01 bench from 378mRL to 370mRL to produce 3599673 tonne ROM Limestone. It was observed during inspection & from the image/plan and data submitted to this office that the development/excavation has not been carried out as the approved proposal. It was also observed that at places benches are not made properly and bench height also not maintained to 8 meter.</p> <p>(b) It was proposed to dump IB waste in waste dumps W-1 between N5570-N5725 & W3 between N5690-N5950. It was observed during inspection that waste dump management has not been carried out as per approved proposal. The waste is not properly spread over dumps and at places terracing also not found.</p> <p>(c) It was proposed to backfill 1.41 hect. of voids waste during the year 2022-23 but only 0.36 hect area has been backfilled.</p>

1/23461/2024
02-
1/23461/2024

इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिजसंरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सोजत, जिला पाली।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो